न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस.

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. : 50 / 2019

प्रार्थीपक्ष	**बनाम**	**अप्रार्थीपक्ष**
1–रमेश पुरी पुत्र स्व. ओमपुरी जाति गोस्वामी निवासी लखारा बाजार, अचलनाथ मंदिर के पास, जोधपुर।		1– महन्त मुनेश्वर गिरी मार्फत अचलनाथ जी महादेव का मंदिर, लखारा बाजार, जोधपुर। 2– मंदिर श्री अचलनाथ महादेव मंदिर, जोधपुर जरिये महन्त मुनेश्वरगिरी। 3– नगर निगम जोधपुर जरिये आयुक्त। 4– राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर जोधपुर।

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O_{47} R_1 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता बाबत् पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 14.08.19 रिकॉल/अपास्त करने, जिसके द्वारा अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन निर्माण स्वीकार किया गया।

आदेश दिनांक 10.02.2020

उपस्थिति :–
1– बी.एल. स्वामी अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2– श्री अक्षय कुमार दवे अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष 1, 2)
3– श्री विमलेश जोशी अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष–3)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 30.10.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_{47}

लगातार.... 2

 44

R_1 सपठित धारा 151, व्यवहार प्रकिया संहिता बाबत् इस कार्यालय द्वारा अप्रार्थी महन्त श्री मुनेश्वर गिरी की ओर से प्रस्तुत आवेदन Rajasthan Religious Buildings and Places Act, 1954 and Rules 1957 के तहत ट्रस्ट परिसर में स्थित मंदिर में भोजनशाला निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति आदेश दिनांक 14.08.19 जारी किया गया, को रिकॉल/अपास्त करने हेतु हुआ।

उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष संख्या–1, 2 की ओर से श्री अक्षय कुमार दवे अधिवक्ता एवं अप्रार्थी 3 (नगर निगम जोधपुर) की ओर से श्री विमलेश जोशी ने वकलातनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष 1, 2 की ओर से दिनांक 14.01.2020 को एवं अप्रार्थी–3 की ओर से दिनांक 03.02.20 को जबाब पेश हुए तथा प्रार्थी की ओर से जबाबुलजबाब दिनांक 16.01.20 को प्रस्तुत हुआ।।

दिनांक 03.02.2020 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थीपक्ष द्वारा श्रीमान् सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध दीवानी मूल वाद संख्या 08/18 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो विचाराधीन है। सिविल न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.03.19 को पारित आदेश में अप्रार्थीगण को दौरान लम्बित वाद पाबन्द किया गया जो आदिनांक तक अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया हुआ है। बहस में आगे कहा कि अप्रार्थी–1, 2 ने उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के उक्त आदेश के तथ्यों को छुपाकर श्रीमान के कार्यालय के समक्ष तथ्यों को तोड़–मरोड़कर प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये एवं सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपित आदेश दिनांक 14.08.19 को Rajasthan Religious Buildings and Places Act, 1954 and Rules 1957 के तहत मंदिर परिसर में निर्माण स्वीकृति आदेश प्राप्त किया गया, जो अपास्त/रिकॉल योग्य है। बहस में यह भी कहा कि पुनर्विलोकनाधीन आदेश दिनांक 14.08.19 की जानकारी तब हुई, जब अप्रार्थी–एक के द्वारा श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र O_{41} R_{27} सी.पी.सी.

लगातार... 3

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं।

पेश किया परन्तु उस दिन आदेश की प्रति नहीं मिली तथा प्रार्थी द्वारा आदेश की प्रति हेतु प्रतिलिपि विभाग में आवेदन करने पर प्रतिलिपि विभाग ने फोटो प्रति की प्रतिलिपि नहीं देने को कहा, तब प्रार्थी ने उक्त आदेश की नकल कलक्टर कार्यालय से बार–बार चक्कर काटने पर दिनांक 23.10.19 को प्राप्त हुई। बहस के अन्त में कहा कि पुनर्विलोकनाधीन आदेश दिनांक 14.08.19 तथ्यो के हालत एवं विधि विरूद्ध होने, प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाने एवं सुनवाई का नोटिस/अवसर नहीं देने, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त/रिकॉल करने योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश को रिकॉल किया जाय।

अप्रार्थीपक्ष–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की गई थी। दीवानी न्यायालय ने दीवानी विविध प्रकरण सं0 7/2018 में दिनांक 19.03.19 को आदेश पारित करते हुए अप्रार्थीपक्ष को सक्षम विभाग से निर्माण स्वीकृति हासिल किये बिना निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया गया अर्थात् दीवानी न्यायालय द्वारा अप्रार्थीपक्ष को निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कतई नहीं रोका गया। बहस में यह भी कहा कि नगर निगम जोधपुर द्वारा मंदिर सम्पति पर निर्माण प्रस्तावित होने के कारण इस कार्यालय को प्रशासनिक शक्तियों के तहत प्रेषित की गई है तथा जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया जिसमें कोई किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं हुई, न तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। बहस में यह भी कहा कि प्रथमत् रिव्यू उन आदेशों के विरूद्ध किया जाता है जहां "Error Apperant on the face of Record" प्रकट हो। प्रार्थीपक्ष ने ऐसा होने का कहीं कथन नहीं किया गया, न पुष्टि करवाई गई। द्वितीयत् आलौच्य आदेश एक प्रशासनिक आदेश होने के कारण उसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान नहीं है, तृतीय प्रार्थीपक्ष आलौच्य आदेश में पक्षकार नहीं होने से पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करने का अधिकारी भी नहीं है। बहस के निरन्तर में कहा कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वार्ड प्रभारी, वार्ड

लगातार... 4

नं0 35, नगर निगम जोधपुर को 16.07.18 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कहा गया कि अचलनाथ मंदिर के पास स्थित प्राचीन बावड़ी पर बिना अनुमति, बिना नक्शा पास कराये अवैध रूप से व्यसायिक गतिविधियों हेतु निर्माण करवाया जा रहा है तथा इसकी पत्रावली नगर निगम जोधपुर एवं जिला कलक्टर के यहां विचाराधीन है तथा जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है वह सम्पति नगर निगम जोधपुर के अधीन है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीपक्ष को निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही बाबत् भलीभांति जानकारी रही है तथा उसके हित प्रभावित होने पर जानकारी होने के पश्चात् भी एतराज नहीं करने बाबत् स्पष्ट नहीं किया है। बहस में यह भी कहा कि सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहर जोधपुर द्वारा भी प्रकरण संख्या 7/18 बअनवान रमेशपुरी बनाम महन्त मुनेश्वर गिरी में दिनांक 19.03.2019 में यही आदेश पारित किया गया है कि **निर्माण स्वीकृति हासिल किये बगैर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करे तथा प्रार्थी को उसकी जायदाद में स्थित खिड़कियों में से प्राप्त होने वाली हवा, रोशनी को अवरूद्ध नहीं करे**। अप्रार्थीपक्ष–एक द्वारा पूर्व में भी निर्माण स्वीकृति की पत्रावली के साथ वाद तथा उसमें पारित समस्त आदेशों की प्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत की जा चुकी है अतः यह कहना गलत है कि अप्रार्थीपक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई कन्सीलनेंट ऑफ फेक्ट किया हो। बहस के अंत में आलौच्य आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। Rajasthan Religious Buildings and Places Act, 1954 (Act No. 18 of 1954) का भी अध्ययन किया। प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दिनांक 16.07.2018 को नगर निगम के वार्ड सं0 35 प्रभारी को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें निर्माण स्वीकृति की पत्रावली नगर निगम जोधपुर एवं जिला कलक्टर कार्यालय में विचाराधीन होना उल्लेख किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीपक्ष को भलीभांति जानकारी होने के पश्चात् भी पुनर्विलोकनाधीन आदेश जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की। पुनर्विलोकनाधीन आदेश जारी

लगातार... 5

करने में किस प्रकार की त्रुटियां रही जो आदेश में "Error Apperant on the face of Record" प्रकट होती है, प्रार्थीपक्ष ने उल्लेख नहीं किया गया। आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व कार्यालय हाजा की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी एवं अप्रार्थीपक्ष के मध्य एक सिविल वाद संख्या 8/2018 श्रीमान् सिविल न्यायाधीश जोधपुर महानगर न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वाद में मुख्य अनुतोष में भी बिना सक्षम प्राधिकारी अनुमति के निर्माण नहीं किया जाने का चाहा गया है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 19.03.2019 में यही पारित किया गया कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद सक्षम निकाय से निर्माण स्वीकृति हासिल किये बगैर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करे तथा प्रार्थी को उसकी जायदाद में स्थित खिड़कियों में से प्राप्त होने वाली हवा, रोशनी को अवरूद्ध नहीं करे। अतः हम अप्रार्थीपक्ष के इस कथन से सहमत है कि दीवानी न्यायालय द्वारा अप्रार्थीपक्ष को निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कतई नहीं रोका गया, न निर्माण स्वीकृति जारी करने के संबंध में कोई स्थगन न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधिनियम की धारा 8 के तहत जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का स्पष्ट प्रावधान है। आदेश को पुनर्विलोकन करने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार कार्यालय के आदेश दिनांक 14.08.2019 पुनर्विलोकन योग्य नहीं एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र भी विधिक पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली न्यायिक शाखा को पुनः प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया।